राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(12)गृह–1/2016 जयपुर, दिनांक : 12 SEP 2017

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1954 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 05.08.2017 को आयोजित की गई जिसमें श्री हरिमोहन गुप्ता, श्री सुरेन्द्र कटेवा, श्री पुष्पेन्द्र सिंह सोलंकी एवं श्री पूनम सिंह विश्नोई के प्रकरणों में राजस्थान पुलिस सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2011–12, 2012–13 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 की पूर्व में सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषाओं का पुनरावलोकन किया गया।

समिति द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में दायर अपील सं0 260/13 में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2016 की पालना में श्री हरिमोहन गुप्ता एवं वर्ष 2011–12 में सेवानिवृत अन्य अधिकारियों सहित श्री मंगल सिंह चारण व श्री सुरेन्द्र सिंह कटेवा, श्री पुष्पेन्द्र सिंह सोलंकी एवं श्री पूनम सिंह विश्नोई के प्रकरणों से संबंधित समस्त अभिलेखादि के अवलोकन पश्चात् समिति की अभिशंषानुसार निम्नांकित वर्षों की पूर्व में सम्पन्न डीपीसी अभिशंषाओं में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:–

<u>वर्ष 2011–12</u>–

वर्ष 2011–12 में कुल 20 रिक्तियों के लिए पात्रता सूची में श्री रतन लाल पंवार एवं श्री प्रभूलाल खटीक के नाम पर रिक्ति संख्या 13 एवं 14 के लिए विचार किया गया। श्री पंवार दिनांक 31.08.2011 को सेवानिवृत होने तथा श्री प्रभूलाल खटीक का दिनांक 20.09.2011 को स्वर्गवास होने के कारण समिति की अभिशंषानुसार रिक्ति संख्या 13 एवं 14 जो क्रमशः दिनांक 01.09.2011 एवं 01.10.2011 को प्राप्त होने के कारण इन्हें पदोन्नति देय नही है। पूर्व में आयोजित नियमित डीपीसी दिनांक 05.08.2016 में इनको पदोन्नति नही दी गई हैं।

समिति की अभिशंषानुसार निम्नांकित अधिकारियों को वर्ष 2011–12 में पदोन्नति दी जाकर इनकी वरिष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जाती है–

क.सं.	वर्ष 2011–12 में नवीन चयनित अधिकारी	रिक्ति की तिथि	वर्ग	वरियता क्रम
1	श्री हरिमोहन गुप्ता	01.06.2011	सामान्य	श्री विजय सिंह के नाम के नीचे
2	श्री मंगल सिंह चारण (डेफर)	01.06.2011	सामान्य	श्री माईलाल के नाम के उपर
3	श्री नारायण सहाय मीणा (वरिष्ठता के आधार पर)	01.08.2011	एस.टी.	श्री प्रहलाद सिंह शेखावत के नाम के नीचे

श्री हरिमोहन गुप्ता को श्री सुरेन्द्र सिंह कटेवा के लिए रखे गये रिक्त पद के विरूद्ध पदोन्नति दी गई है तथा श्री मंगल सिंह चारण का अभिलेख पूर्ण नही होने के कारण मूल डीपीसी में इनका प्रकरण डेफर करते हुये एक पद रिक्त रखा गया था। उस रिक्ति के विरूद्ध श्री चारण को पदोन्नति दी गई है। श्री सौरभ कोठारी का नाम वर्ष 2011–12 की चयन सूची से विलोपित किया जाता हैं।

<u>वर्ष 2012–13</u>–

वर्ष 2011–12 में सेवानिवृत अधिकारियों (श्री हरिमोहन गुप्ता एवं श्री नारायण सहाय मीना) की दो रिक्तियॉ दिनांक 01.04.2012 को प्राप्त हुई है, इन रिक्तियॉ के विरूद्ध निम्नांकित अधिकारियों को वर्ष 2012–13 में पदोन्नति प्रदान की जाती हैः–

क्र.सं.	नम अधिकारी	वर्ग	वरियता क्रम
1.	श्री सुरेन्द्र सिंह कटेवा	सामान्य	श्री काशीराम सोलंकी के नाम के ऊपर
2.	श्री सौरभ कोठारी	सामान्य	श्री पुष्पेन्द्र सिंह सोलंकी के नाम के नीचे

श्री पुष्पेन्द्र सिंह सोलंकी के विरूद्ध पारित दण्डादेश क्रमांक व–13(67)पु.फो./डीई/आरपीएस/2010/5805 दिनांक 21.11.2012 दो वार्षिक वेतन वृद्धि बिना भविष्य प्रभाव से रोके जाने के कारण इन्हें वर्ष 2011–12 में पदोन्नति से वंचित किया गया था। उक्त दण्डादेश को कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प. 5(2)(37)कार्मिक/क–3/जांच/2015 दिनांक 12.07.2016 के माध्यम से अपास्त किये जाने के कारण श्री सोलंकी से कनिष्ठ श्री सौरभ कोठारी को प्रस्तावित रिव्यू में वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में वर्ष 2011–12 के स्थान पर वर्ष 2012–13 की रिक्तिं के विरूद्ध चयन किया गया है तथा श्री सोलंकी का चयन भी वर्ष 2012–13 की रिक्ति के विरूद्ध हुआ है, इसलिए श्री पुष्पेन्द्र सिंह सोलंकी के नाम पर अब पुनः विचारण की आवश्यकता नही है, इनकी वरिष्ठता श्री सौरभ कोठारी के नाम के उपर निर्धारित की जाती है।

<u>वर्ष 2014–15</u>–

श्री पूनम सिंह विश्नोई के विरूद्ध विभागीय जांच अन्तर्गत नियम 16 सीसीए विचाराधीन होने के कारण इनकी अभिशंषाऐं वर्ष 2014–15 शील्ड कवर में रखी जाकर एक पद रिक्त रखा गया था, उक्त जांच में कार्मिक विभाग के निर्णय क्रमांक प.1(314) कार्मिक/क–3/2011 दिनांक 25.05.2016 द्वारा श्री विश्नोई की दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया हैं, इसलिए श्री विश्नोई को वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में पदोन्नति देय नही है।

समिति की अनुशंषानुसार वर्ष 2014–15 में श्री पूनम सिंह विश्नोई को प्रथम बार पदोन्नति से वंचित किया जाकर उक्त रिक्ति के विरूद्ध श्रीमती विनोद कंवर का चयन किया गया तथा इनकी वरिष्ठता श्री जयसिंह के नाम के नीचे निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2015—16—

समिति की अनुशंषानुसार वर्ष 2015—16 में श्री पूनम सिंह विश्नोई को द्वितीय बार पदोन्नति से वंचित किया गया। श्रीमती विनोद कंवर का नाम वर्ष 2015—16 की चयन सूची से विलोपित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त रिक्ति के विरूद्ध सुश्री प्रीति कंकाणी का चयन किया जाकर इनकी वरिष्ठता सुश्री रानू शर्मा के नाम के नीचे निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2016—17—

समिति द्वारा वर्ष 2016—17 की चयन सूची से सुश्री प्रीति कंकाणी का नाम चयन सूची से विलोपित होने एवं इस विभाग के आदेश कमांक प. 5(7)गृह—1/ 2016 दिनांक 15.09.2016 के द्वारा सेवानिवृति तिथि को रिक्तियां उपलब्ध नही होने के कारण श्री तारा सिंह, श्री राजेश कुमार (दोनों सामान्य) एवं श्री श्रीनारायण वर्मा (एस.सी.) का नाम चयन सूची से विलोपित किये जाने से प्राप्त कुल 4 रिक्तियों के विरूद्ध निम्नांकित अधिकारियों को वर्ष 2016—17 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किया जाता है:—

क.सं.	नाम अधिकारी	पदोन्नति तिथि	वर्ग	वरियता कम
1.	श्री पूनम सिंह विश्नोई	01.04.2016	सामान्य	श्री सरजीत सिंह मीणा के नाम के ऊपर
2.	श्री गोपाल सिंह	01.12.2016	सामान्य	श्री सुरेन्द्र सिंह भाटी के नाम के नीचे
3.	श्री द्वारका प्रसाद शर्मा	01.12.2016	सामान्य	श्री गोपाल सिंह के नाम के नीचे
4.	श्रीमती माधुरी वर्मा	01.02.2017	एस.सी.	श्री गुरूमीत सिंह के नाम के नीचे

उक्त पदोन्नत अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

आज्ञा से,

(चेतन देवडा)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय गृहमंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, गृह।
4. महानिदेशक पुलिस, राज0, जयपुर।
5. सम्बन्धित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रोग्रामर, गृह (ग्रुप—6) विभाग को वेबवाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

12/3/2017

(कैलाश चन्द्र गुप्ता)
वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस